

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर
तीन वर्ष हेतु सुदाना, कॉफ स्टार्टर, फाडर
ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर परिवहन हेतु
ई-निविदा
दिनांक
20-10-2020

(इकाई-भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल)

पचामा दूरभाष क्र० 07562-221135

E- Mail : cff.pachama@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर

—: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :—

सुदाना परिवहन

S.No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	28.09.20/17:00
2	Bid Submission End Date	19.10.20/11:00
3	Mandatory Submission Open Date	20.10.20/11:00
4	Financial Bid Open Date	20.10.20/11:30

निविदा खोलने का स्थान	:-	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल (म.प्र.)
निविदा प्रपत्र की कीमत	:-	रुपये 1000 /— (रुपये एक हजार मात्र) क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा क्रय किये जावे जो वापसी योग्य नहीं।
अमानत राशि	:-	रुपये 30000 /— (रुपये तीस हजार मात्र) आनलाईन जमा करना अनिवार्य है
प्रतिभूति राशि	:-	रुपये 570000 /— (रुपये पांच लाख सत्तर हजार मात्र) अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो CATTLE FEED FACTORY PACHAMA के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :- शर्त क्र0 10 अनुसार मांगे गये दस्तावेज निविदा दिनांक को बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करें।

प्रभारी महाप्रबंधक

पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर,

—: पशु आहार परिवहन की शर्तें :—

1. पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर परिवहन निविदा की दरें ई—निविदा के माध्यम से आनलाईन स्वीकार होगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र पचामा से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावे।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें “रूपये प्रति मै.टन” (One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र पचामा के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहता है, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेंगे।
5. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र पचामा के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप जिस पर गंतव्य स्थान गाडी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नहीं किया जावेगा। यदि गाडी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते हैं तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।
7. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दूरभाष पर निर्देश प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। पालन नहीं किये जाने पर परिवहनकर्ता पर रु0 1000/— (रु0 एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड किया जावेगा।
8. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुंचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुंचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
9. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुंच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।

10. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास स्वयं के दो वाहन (ट्रक) वर्ष 2016 या उसके पश्चात् निर्माण होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक को समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें।
11. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
12. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबाबदारी परिवहनकर्ता की होगी इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीत केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।
14. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना, कॉफ स्टार्टर/मिनरल मिक्सचर में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
15. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
16. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों से पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है।
17. परिवहन कर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र पंचामा सीहोर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समस्त करो का कटौती कर किया जावेगा, जिसमें सेवा एवं स्वच्छता कर शामिल होगा।
18. अनुबंध की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष की होगी तदपि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् उन्हीं दरों एवं शर्तों पर एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।
19. उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना के उपरांत यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
20. पशु आहार संयंत्र गोदाम से वाहन तक पशु आहार लाने की व्यवस्था संयंत्र स्तर से की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहनकर्ता द्वारा संघ की अनुमोदित दर के आधार पर किया जावेगा। इसके पश्चात् वाहन लोडिंग कर, निर्धारित स्थान पर अनलोडिंग कर गोदाम में निर्धारित स्थान पर जमाने की व्यवस्था परिवहनकर्ता द्वारा की जावेगी तथा इसका व्यय भी परिवहनकर्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा। इसका किसी भी दशा में भुगतान संघ/बी.एम.सी./समिति द्वारा नहीं किया नहीं जावेगा।

21. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी।
22. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए।
23. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
24. अनुबंध पत्र (इकरार नामा) निष्पादित करने के पूर्व संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रुपये 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) का डीडी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र पचामा के नाम से जमा करना आवश्यक होगा।
25. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को संलग्न शर्तों के तहत अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसमें प्रतिभूति राशि रुपये 6,00,000/-होगी। जिसमें से रुपये 30000/- अमानत राशि समायोजित कर शेष रुपये 570000/- संस्था में डीडी द्वारा जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। पूर्व में या जिन ठेकेदारों द्वारा दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर सुदाना परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है, उन्हें अलग से दोबारा अमानत राशि जमा करनी होगी, पूर्व की राशि किसी भी दशा में समायोजित नहीं की जावेगी
26. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।
27. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म "भारतीय भागीदार अधिनियम" के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
28. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
29. सेवा प्रदायक द्वारा का प्रदाय निर्धारित मापदण्ड अनुसार हो इस बात का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश के कियान्वयन में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेश को निरस्त करने एवं प्रदायक की जोखिम एवं व्यय पर अन्य साधनों से सेवा प्राप्त करने का दुग्ध संघ एमपीसीडीएफ को अधिकार होगा। निविदा में वर्णित शर्तों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने की दशा में क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी।

क्र०	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	1 माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3.	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

30. यदि प्रदायक/निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन वस्तुओं को प्रदाय नहीं करता है अथवा अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो दुग्ध संघ /एमपीसीडीएफ द्वारा आदेश निरस्त किया जा सकेगा, निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता को एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जा सकेगा तथा निविदा की प्रतिपूर्ति राशि जप्त की जा सकेगी।
31. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रु0 लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।
- | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| क्रमांक | वाहन का प्रकार | औसत प्रति लीटर |
| 01 | ट्रक, | 04 कि.मी |
- इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।
32. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
33. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुंचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा। निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर परिवहनकर्ता के देयको से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर कटौती किया जावेगा।
34. परिवहनकर्ता के देयको से शासन के नियमानुसार आयकर, सर्विस एवं स्वच्छता कर तथा जीएसटी इत्यादि अन्य करों आदि का कटौती किया जावेगा।
35. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टैक्टर-ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।
36. पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगे।
37. उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जावेगा।
38. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता जबाबदार होगा।
39. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
40. समस्त अदालती विवाद भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या. भोपाल

पशु आहार संयंत्र पचामा से दरें देवें

दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची

क्र०	दुग्ध शीत केन्द्र / दुग्ध संस्था	अनुमानित दूरी (कि०मी०)	प्रति मै०टन दर
			16 मे.टन परिवहन हेतु
1	बैतूल	217	
2	बरेली	165	
3	पचमा गंजबासौदा	142	
4	गैरतगंज	148	
5	सागर	230	
6	पचौर	160	
7	बण्डोल (शिवनी)	450	
8	गौहरगंज	85	
9	नरसिंहगढ़	78	
10	आष्टा	46	
11	हरदा	146	
12	कीरतपुर	148	
13	लटेरी	167	
14	विदिशा	95	
15	ग्यारसपुर	132	
16	रायसेन	95	
17	सोहागपुर	184	
18	जीरापुर	163	
19	सिलवानी	177	

दुग्ध संस्था/बी.एम.सी. की सूची

क्र०	दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध संस्था	अनुमानित दूरी (कि०मी०)	प्रति मै०टन दर
			16 मे.टन परिवहन हेतु
1	आमलारामजीपुरा	22	
2	आगखेड़ी	65	
3	आलनिया	80	
4	अकलपुर बिन्दी	70	
5	अरन्याकंला	85	
6	आलनिया	80	
7	अमलावती	84	
8	अमलाह	27	
9	अमलाय पत्थर	58	
10	आवली खेड़ा	96	
11	बोड़ा	105	
12	बगड़ावदा	62	
13	भैसायागढ़ा	76	
14	भैसायानागिन	60	
15	बेहराबल	62	
16	भीलखेड़ा	55	
17	भूरियाखजूरिया	62	
18	बड़बेली	94	
19	बेरछादातार	65	
20	ब्रिजिशनगर	39	
21	बिछोली	30	
22	भण्डेली	26	
23	बमूलियाबड़ा	21	
24	बिशनखेड़ा	82	
25	बढ़नगर	40	
26	बरनावद	95	
27	बदनाखेड़ी	70	
28	भाटनी	125	
29	बड़ोदिया तालाब	70	
30	बटवारी	95	

31	बमूलियामैना	80	
32	बाबड़ियामैना	80	
33	बरोड़ी	75	
34	बालापुरा	40	
35	बांकाखेड़ी	95	
36	बाउडीखेड़ा	63	
37	बमूलिया मुछाली	65	
38	बरखेड़ी राम	97	
39	बेरसिया	78	
40	बहराबल (सांची)	95	
41	बाकसी (सांची)	96	
42	बोलदा	84	
43	बारबांकला	112	
44	बकानी	112	
45	बनखेड़ा	47	
46	चाकरोद	70	
47	चारखेड़ी	55	
48	चापड़िया	95	
49	छोटामोल्टा	95	
50	चितावलिया लाखा	22	
51	छतरपुरा	65	
52	धोलपुर	55	
53	ढाबलाधीर	50	
54	दूबड़ी	52	
55	ढाबला हुसैनपुर	56	
56	ढाबलाघोसी	64	
57	ढाबलामाता	35	
58	धामनखेड़ा	50	
59	धामन्दा	70	
60	धनखेड़ी	28	
61	डाडियाखेड़ी	38	
62	फरड़	75	
63	फन्दा	8	
64	गाथला	110	
65	गणेशपुर	76	
66	घट्टी	60	

67	जाबड़िया भील	65	
68	जामनेर	70	
69	गैरखेड़ी	117	
70	गोलूखेड़ी	70	
71	गरेठिया	97	
72	गनियारी	120	
73	गोकुलपुरा	150	
74	गड़ीनिपानिया	115	
75	गिराना	98	
76	गुड़पीपली	68	
77	गुड़भेला	12	
78	गुरदाखेड़ी	58	
79	गुठानपुरा	75	
80	हुगली	70	
81	हररूखेड़ी	44	
82	हड़लायखुर्द	78	
83	हीरापुर	32	
84	इमलीखेड़ा	60	
85	इचीबाड़ा	95	
86	झाड़पीपल्या	112	
87	झालकी	40	
88	करवा	110	
89	करौंदी	150	
90	कल्याणपुर	127	
91	करनवास	125	
92	काहरीजदीद	58	
93	खरदौनकंला	74	
94	खोकराकंला	70	
95	कोहड़ी	65	
96	कालापीपल	70	
97	कोठरी नं.2	90	
98	कांकरखेड़ा	52	
99	खेड़ावद	110	
100	खामखेड़ा	60	
101	कन्नोज मिर्जी	72	
102	कांकरिया	70	

103	कुलासकंला	52	
104	खजूरीअलादाद	70	
105	खरसौदा	100	
106	किल्होर	95	
107	काहरीकदिम	35	
108	कचनारिया	27	
109	कचनारिया (सेमली)	38	
110	खजूरीया जावर	65	
111	कुशलपुरा	42	
112	कल्याणपुरा	48	
113	खजूरिया खुर्द	36	
114	खाई खेड़ा	36	
115	कोरिया जरगर	142	
116	खातीखेड़ी	81	
117	लसूडिया पातला	76	
118	लसूडिया गौरी	58	
119	लाहरखेड़ा	120	
120	लसूडियामलक	50	
121	लसूडीयाखास(आष्टा)	44	
122	लसूडीयाखास(सीहोर)	20	
123	लालाखेड़ी शुजालपुर	70	
124	लसूडिया परिहार	30	
125	लंगरपुर	95	
126	लसूडिया कांगर	48	
127	मोहम्मदपुर	55	
128	मऊ	135	
129	मोर्चाखेड़ी	105	
130	मन्साया	60	
131	मूगोद	80	
132	मंगलाज	110	
133	मालीखेड़ी	60	
134	मुंगावली	40	
135	मोतीपुरा	70	
136	मानपुरा	52	
137	नांदनी	70	
138	नाहरिया	95	

139	नरेला	48	
140	निशाना	95	
141	नितरनी	95	
142	निपानियाकंला	18	
143	निपानिया चेतन	70	
144	नीमखेड़ा	97	
145	नन्दगॉव	78	
146	नरसिंह खेड़ा	34	
147	नसिर पुर	97	
148	पड़ाना	140	
149	परसुलिया	112	
150	पुनरखेड़ी	125	
151	पारदाखेड़ी	50	
152	पटलावदा	70	
153	पिपलोदा	150	
154	पंचदेहरिया	74	
155	पलसावद	95	
156	पिपलियारसोड़ा	125	
157	पोलायखुर्द	95	
158	पोचानेर	42	
159	पटेलपुरा	70	
160	पचामा गॉव	3	
161	पीपलियानगर	38	
162	पानी खेड़ी	96	
163	रायपुरिया	135	
164	रामपुरा	55	
165	रामपुरा(बरनावदा)	80	
166	रोसला	60	
167	रायपुर	70	
168	रोला	20	
169	रामदासी	40	
170	सेमलीजदीद	60	
171	सेमली (कचनारिया)	30	
172	सुकली	112	
173	सोनकच्छ	90	
174	शेरपुरा	70	

175	सिलोदा	54	
176	सुनगा जोड़	95	
177	शुक्ला ग्राम	95	
178	शेखपुरा	70	
179	शिकारपुर	55	
180	सादनखेड़ी	65	
181	शिवपुरा	95	
182	सेमलीकला	31	
183	सेवनीया	17	
184	सेमला दोंगी	28	
185	सिकन्दरपुरा	41	
186	सीलखेड़ा	42	
187	तिन्दोनिया	70	
188	टिकोद	145	
189	तिलावद	84	
190	ताजपुरा	110	
191	टिटवास	70	
192	ताजपुरउकाला	71	
193	तकीपुर	8	
194	उदनखेड़ी	125	
195	उमरखाल	40	
196	वुड़लाय	98	
197	पचपीपलीया	22	
198	टीलीयाखेड़ी	75	
199	रामखेड़ी(सीहोर)	30	
200	रोलाखेड़ी	32	
201	मादलाखेड़ी	55	
202	काकूखेड़ी	40	
203	तोरनीया	28	
204	मुड़लाखुर्द	32	
205	पाड़लिया	45	
206	ताजीपुरा	68	
207	पदमसी	54	
208	सिन्दूरिया	128	
209	कुरावर	44	
210	बिजौरी	8	

211	प्रतापपुरा	72	
212	करंजखेड़ा	32	
213	सेमलिया	42	
214	चिचन्डा	277	
215	हतनापुर	275	
216	झरखेड़ा	60	
217	भंवरा	60	
218	अरनियाराम	56	
219	खरदोन खुर्द	65	
220	करदर्ई	97	
221	सगोदरा	97	
222	रमाहा	98	
223	कड़इयाकला	98	
224	जमोनिया फतेहपुर	35	
225	महिला ललोती	88	
226	निपानिया खंजर	70	
227	मेगराकला	98	
228	जमोनिया जोहर	106	
229	जमोनिया गोप चौहान	102	
230	चायनी	42	
231	थोंदेर	97	
232	बकायन	96	
233	सलेया	98	
234	कमालपुर	70	
235	रामडी	70	
236	हाजीपुर	70	
237	झुन्डी	70	
238	महुखेड़ा	65	
239	बांसीया	65	
240	मोगराराम	30	
241	खेडली	30	
242	नयापुरानांदनी	40	
243	थूना	3	
244	बारवाखेड़ी	30	
245	रामाखेड़ी	30	
246	जमोनियागणेश	108	

247	रनायल	40	
248	महिला तिलावद	86	
249	जाकाखेड़ी	40	
250	बैरागढगणेश	40	
251	गुलखेड़ी	40	
252	नयापुरामोलूखेड़ी	45	
253	रफीकगंज	22	
254	खेड़ी भुपोड़	65	
255	खड़ीहाट	65	
256	बमुलिया रायमल	65	
257	मुल्लानी	25	
258	नापला खेड़ी	18	
259	बरखेड़ी	25	
260	छापरी	70	
261	बौरखेड़ा	70	
262	मूडलामैना	80	
263	पीपलखेडा	88	
264	भैसाखेडी	25	
265	कनेरिया	39	
266	महुआखेड़ा	41	
267	नातराखेड़ी	41	
268	सिराडी सीहोर	25	
269	शाहपुरकोडिया	17	
270	आजादनगर	70	
271	खेरखेड़ी	70	
272	जानपुरबाबडीया	20	
273	छापरी दोराहा	40	
274	चितावलीयाहेमा	22	
275	नौनीखेडी	25	
276	जंगीखेड़ी	90	
277	रुनाहा	95	
278	बिजोरी आष्टा	60	
279	वांदीखेड़ी	95	
280	महिला भटोनी	20	
281	गुराडी	39	
282	गालवी	74	

283	रीछड़ी	60	
284	फ्रीगंज	28	
285	महिला शोभाखेड़ी	60	
286	पीपल्वेठाकूर	128	
287	किलखेड़ा	128	
288	अमलार	145	
289	जताखेड़ा	20	
290	नानाखेड़ी	82	
291	जोडक्या	120	
292	महिलापीपलहेला	120	
293	सांडाहैडी	120	
294	महिला भूरा	120	
295	खुरी	120	
296	लसूडीयागर्जर	120	
297	गादिया	120	
298	छापर	54	
299	पसइया	95	
300	भटोनी	72	
301	हबीबगंज सरखंडी	95	
302	निदानपुर	95	
303	खजुरियारामदास	95	
304	इमलीयानरेन्द्र	95	
305	बरखेडाकला	95	
306	रमगढा	95	
307	बरखेडी देव	95	
308	पीपाखेडी	95	
309	आन्दीखेड़ी	70	
310	महिलाकालापीपल	70	
311	दमीला	85	
312	नेतापुरा	85	
313	हुड़ा	90	
314	धुतखेड़ी	90	
315	मजीदगढ	90	
316	भेरुपुरा	90	
317	गोडियासनखेडा	90	
318	अरनीयाकांकड	90	

319	कोटरा	90	
320	खेजडा	60	
321	झिरनीयाकांकड	90	
322	मिठी छापरी	90	
323	नांदनी	20	
324	कोडीया	20	
325	इन्दरपुरा	95	
326	सुन्दरहैड़ा	120	
327	खासपुरा	95	
328	जमोनीयाटैक	20	
329	कालापीपल जागीर	30	
330	तज	20	
331	देवली	20	
332	गंगापुरा	90	
333	ललौई	90	
334	कढैयाचवंर	90	
335	इमलीयास्वरूप	90	
336	पिपलियाधाकड	25	
337	बरखेड़ाहसन	45	
338	खुरानीया	32	
339	नईचन्देरी	30	
340	भोजनगर	25	
341	मूडला भोपाल	30	
342	बरखेड़ासालम	30	
343	शंकरपुरा	90	
344	एमनाखेडी	90	
345	खजुरीयाकला विदीशा	90	
346	बरखेडादेवा	45	
347	बगराज	90	
348	पातालपुर	90	
349	शेषापुरा	90	
350	ठीकरीयाबरामद	90	
351	नसीरपुर	90	
352	मुरली	3	
353	देवलखेड़ा	95	
354	रासलाखेडी	41	

355	छापरीकला	20	
356	खाकरातैजा	120	
357	कचनारीयाव्यावरा	120	
358	वेदारनगर	90	
359	सलसलाई	95	
360	निवारीया श्यामपुर	48	
361	हराखेड़ा	95	
362	बडबेली सीहोर	20	
363	पीपलीयामीरा	20	
364	गेरूखान	20	
365	कादीखेड़ी	95	
366	रजपुरा	95	
367	आमला महिला	25	
368	चैनपुरा	30	
369	बोरसाली	95	
370	अरनीयासुल्तानपुर	40	
371	अजनई	80	
372	फुलेन	80	
373	वल्दीपुरा	95	
374	सुराना	80	
375	खेजडा नजीराबाद	80	
376	चौड़ी	20	
377	पचोंला	72	
378	दौलतपुरा	70	
379	पीपलीयातवा	145	
380	मण्डावर	120	
381	बिजलौन	50	
382	रानीबडौद	80	
383	महिलाउकाय	80	
384	भैसाना	95	
385	लालपुर	95	
386	महिला पौचानेर	42	
387	लसूड़ीयारामनाथ	45	
388	कथेरी	45	
389	धनखेड़ी	45	
390	गीलाखेड़ी	45	

391	महिला कुरावर	45	
392	खजुरीयाकला सीहोर	30	
393	खारपा	25	
394	बौरखेड़ी	25	
395	देहरिया	25	
396	सरखेड़ा	32	
397	हनुमन्तखेड़ा	70	
398	सेमराजागीर	95	
399	बुडनपुर	100	
400	दीदाखेड़ी	20	
401	देवीनगर	90	
402	दामखेड़ा	90	
403	सेमराकला	90	
404	थूनाखुर्द	20	
405	भोपाल	39	
406	आमलारोड	150	
407	आशारेटा पंवार	150	
408	अरणिया	100	
409	अकोदिया	80	
410	भण्डावद	135	
411	भीलवाड़िया	125	
412	भाटखेड़ी	125	
413	बोरदीकला	35	
414	बिलकिसगंज	27	
415	बैरागढ़ खुमान	40	
416	भाऊखेड़ी	23	
417	चिड़लावनिया	145	
418	चान्दबड़ जागीर	55	
419	ढाबला केलवाड़ी	40	
420	दिवड़िया	41	
421	जामली	37	
422	इछावर	25	
423	कांकरवाल	95	
424	कोड़िया	16	
425	खोखरिया	15	
426	कुलासखुर्द	26	

427	कादमपुर	30	
428	खजूरीसड़क	15	
429	खजूरिया	105	
430	मुगालियाहाट	70	
431	मुहाली	45	
432	निवारिया	42	
433	नयापुरा	33	
434	रादानपुरा	76	
435	सोढी	40	
436	सिदौड़ा	97	
437	तिनोनिया	42	
438	टिटोरा	30	
439	उलझावन	26	
440	सिराड़ी	42	
441	पालखेड़ी	25	
442	इमलिया	96	
443	बिजोरा	30	
444	उगली	50	
445	मूडला	25	
446	मोहनपुरलैण्डी	30	
447	मगरखेड़ा	25	
448	मंगलगड बैरसीया	90	
449	मैनापुरा बैरसीया	97	
450	बरखेडी व्यावरा	128	
451	नालबंदी व्यावरा	128	
452	रतनपुर	20	
453	अतरालिया व्यावरा	128	
454	कोलूखेडी व्यावरा	128	
455	सोड़ा	20	
456	कादराबाद	30	
457	जागलियापुरा बैरसीया	110	
458	डंगरोली बैरसीया	110	
459	लहारपुर बैरसीया	100	
460	झिरनीयाकला बैरसीया	100	
461	सेवदा	65	
462	गुनगा बैरसीया	110	

463	भुनगाई बैरसीया	110	
464	निपानीया जाट बैरसीया	110	
465	ईमलीया बैरसीया	100	
466	श्यामपुर	35	
467	अतरालिया सीहोर	35	
468	रमाह खेजड़ा बैरसीया	110	
469	कढैया ब्राम्हण बैरसीया	110	
470	हिनोती	65	
471	छत्तरी	65	
472	दुपाडीयादांगी	30	
473	भान्याखेडी	65	
474	खूटियाखेडी	30	
475	जाजनखेडी सीहोर	35	
476	सेमली खुर्द	35	
477	आमला बांद्रा बैतूल	290	
478	अर्वावती बैरसीया	110	
479	महुआखेड़ा बैरसीया	110	
480	बांसीया बैरसीया	110	
481	फूटी बाबडी बिजोरी	25	
482	सतोरनिया	30	
483	पडली	22	
484	खेजड़ा मीरा व्यावरा	120	
485	ढकोरा व्यावरा	120	
486	कतपौन	60	
487	महिला माना	60	
488	महोली	110	
489	बारब्ही बैतूल	290	
490	तारा सेवनीया	78	
491	पीपलनेर	25	
492	पुरुष चांदबड	25	
493	निपानीयाखुर्द	25	
494	खेडली बैरसीया	120	
495	डेंडी	25	
496	पाटनीया	20	
497	उन्दरई बैरसीया	120	
498	सेमरा भरोपुरा बैरसीया	120	

499	कढैया गांव बैरसीया	120	
500	विजावनकला बैरसीया	120	
501	बडली बैरसीया	120	
502	मलकारी बैरसीया	120	
503	भंवरदा बैरसीया	120	
504	लूलाखाल कुरावर	90	
505	खाईखेड़ा बैरसीया	127	
506	पुराखाना	127	
507	खेजड़ा परिहार	127	
508	अरईया रायसेन	120	
509	जेतली	30	
510	खामखेड़ा बैरसिया	127	
511	बल्डावदा व्यावरा	100	
512	देवलीकला व्यावरा	100	
513	चाटा व्यावरा	100	
514	लतेड़िया व्यावरा	100	
515	वाईखेड़ 1 व्यावरा	100	
516	पडोनिया व्यावरा	100	
517	फूल मोगरा	30	
518	जमानियाहटेसिंह	30	
519	बडझिरी	30	
520	बागसी बैरसिया	90	
521	कांकरियागुर्जर बैरसीया	90	
522	भाउपुरा बैरसीया	90	
523	मुआड़ा	25	
524	सागोनी	25	
525	पागरी	25	
526	लसुडियागोडी	25	
527	कपूरी	20	
528	माना खेड़ी	39	
529	पटारियाधाकड़	115	
530	पिपलियादेव	115	
531	सुस्तानी	135	
532	सेमलीधाकड़	135	
533	सुलतानिया	130	
534	उदनखेड़ी	125	
535	लसूडीयाधाकड़	17	

536	लसूडीयाराम	20	
537	गाजीखेडी	20	
538	नापली	20	
539	तूमड़ा	20	
540	छोटामोल्टा	95	
541	सेवनीया इछावर	30	
542	चाटाहेड़ी	95	
543	बरखेड़ा बरामद	96	
544	धबोटी	50	
545	खेड़ी खण्डवा	25	
546	हमीदपुर	90	
547	मेगरानवीन	97	
548	भमौरा	97	
549	सत्तपीपलीया	20	
550	साहूखेड़ी	88	
551	भैंसरोद	80	
552	अमरपुरछोटी	85	
553	खेजड़ा कल्याणपुर	80	
554	चंद्रपुरा	80	
555	कन्नडपुरमरेढी	70	
556	पुरा	95	
557	परसोरिया	95	
558	सौहाया	95	
559	बकवाह	95	
560	धनौरा	95	
561	महिला कोहड़ा	65	
562	अमरपुर बडी	85	
563	सुरजपुरा	90	
564	नायसमद	90	
565	भुजपुराकला	90	
566	जुनापानी	95	
567	निपानिया बेला	88	
568	बडबेली कला	95	
569	जाजनखेड़ी विदिशा	97	
570	सवासी	90	
571	सीहोर	10	

572	सुकलिया हंसराज	30	
573	खंडारिया	90	
574	रानी खजुरी	95	
575	किल्होर पठार	90	
576	बाबूखेड़ी	85	
577	रौंदिया	90	
578	कुठार	90	
579	डुगरिया	90	
580	बाबरोल	70	
581	बकतल	25	
582	राजूखेड़ी	15	
583	हमीदखेड़ी	127	
584	बरई	127	
585	कलारा	127	
586	बाबडियानौआबाद	17	
587	संग्रामपुर	38	
588	खेरखेड़ी कैम्प बैरसीया	120	
589	परवरिया कैम्प बैरसीया	120	
590	अख्यारपुर	90	
591	झाडला	90	
592	शाहपुर कैम्प बैरसीया	100	
593	राजपुरा कैम्प बैरसीया	100	
594	बीलखेड़ी कैम्प बैरसीया	100	
595	सिंहरामपुर कैम्प बैरसीया	100	
596	माधोपुरा कैम्प बैरसीया	100	
597	खैरखेड़ा कैम्प बैरसीया	100	
598	बरखेड़ी हथनी कैम्प बैरसीया	100	
599	सेमरा कैम्प बैरसीया	100	
600	बाईहैड़ा कैम्प बैरसीया	100	
601	सेमरा भुगपुरा कैम्प बैरसीया	100	

पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर
इकाई: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

अनुलग्नक – द.

पशु आहार संयंत्र पचामा /दुग्ध समितियों एवं शासकीय संस्थाओं हेतु सुदाना, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर परिवहन की दरें परिवहनकर्ता द्वारा आनलाईन निर्धारित B.O.Q. में दिया जाना है

हमें/मुझे निविदा (टेण्डर) एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्तें मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूं। ये भाव पशु आहार संयंत्र पचामा (सीहोर) से उपरोक्त दर्शाये गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____